बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक......................../   पटना, दिनांक........................
सं०सं०–03/उ०नि०/विविध(जि०उ०कें०,)भवन नि0–11/14

प्रेषक,

साकेत कुमार,
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

द्वारा :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार* ।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषयः– **वित्तिय वर्ष 2016–17 में जिला उद्योग केन्द्र, किशनगंज, अरवल, कटिहार, शिवहर, बेतिया (पं0 चम्पारण) एवं शेखपुरा के कार्यालय भवन निर्माण हेतु अवशेष राशि ₹7.42 करोड़ (सात करोड़ बियालीस लाख रूपये) मात्र की विमुक्ति के संबंध में।**

आदेश :– स्वीकृत।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–3578, दिनांक–04.09.2015 एवं विभागीय शुद्धि पत्र ज्ञापांक सं0–800, दिनांक–24.02.2016 के क्रम में कहना है कि वित्तिय वर्ष 2016–17 में जिला उद्योग केन्द्र, किशनगंज, अरवल, कटिहार, शिवहर, बेतिया (पं0 चम्पारण) एवं शेखपुरा के कार्यालय भवन निर्माण हेतु अवशेष राशि ₹7.42 करोड़ (सात करोड़ बियालीस लाख रूपये) मात्र की विमुक्ति प्रदान करने की कृपा की है।

(2) विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–3578, दिनांक–04.09.2015 द्वारा उक्त कार्य हेतु स्वीकृत राशि ₹15.42 करोड़ (पन्द्रह करोड़ बियालीस लाख रूपये) मात्र के विरूद्ध प्रथम चरण में ₹8.00 (आठ) करोड़ मात्र की विमुक्ति की गयी थी।

(3) उपरोक्त जिला उद्योग केन्द्रों, के कार्यालय भवन का निर्माण कार्य हेतु कार्यान्वयन ऐजेंसी के रूप में बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, लि0, पटना को नामित किया गया है।

(4) उक्त योजना हेतु विमुक्त की जा रही राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–102 औधोगिक उत्पादकता, मांग संख्या–23, उपशीर्ष 0163–व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओ का सृजन विकास एवं रखरखाव–बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड P2852801020163, विषय शीर्ष 27 01 लघु कार्य मद में बजट उपबंध में उपलब्ध राशि से विकलित होगा। जिसके वित्तीय वर्ष 2016–17 में यथोष्ट बजट उपबंध उपलब्ध हैं। जिसका राज्य योजना स्कीम कोड–IND-5434 है।

(5) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक, (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से एकमुश्त अग्रिम राशि की निकासी कर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को RTGS के माध्यम से उपलब्ध करायेगें।

(6) इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होगे जो इस योजना का अनुश्रवण करेगें। कार्यान्वयन ऐजेंसी बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना से व्यय विवरणी/मुल अभिश्रव प्राप्त कर समुचित जॉचोपरान्त विहित प्रपत्र में राशि का समायोजन हेतु प्रतिवेदन महालेखाकार बिहार, पटना को समर्पित करते हुए उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायेगें।

(7) इस योजना का राज्य योजना स्कीम कोड–IND–5434 है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र में निश्चित रूप से विपत्र कोड एवं योजना कोड अंकित करेंगे। राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक–4263 वि0 दिनांक–20.05.2014 द्वारा निर्गत दिशा निदेश के अनुरूप की जाएगी।

(8) प्रस्ताव में वित्त मंत्री, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या– सं०सं०–03/उ०नि०/विविध(जि०उ०कें०)भवन नि0–11/14 के **पृष्ट–16/टि0** पर दिनांक–12.12.2014 को प्राप्त है। जिसका **डायरी संख्या–655** दिनांक–**12.12.2014** है।

D:drive_sueet_Dharmendra sir_\Sanction Order/2015-16..........75

क्रमशः पृष्ट–02 पर...

(9) राशि विमुक्ति के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या–सं०सं०–03/उ०नि०/विविध(जि०उ०के०)भवन नि0–11/14 के पृष्ट–50/टि0 पर दिनांक–11.07.2016 को प्राप्त है। जिसका गै0स0प्रे0 संख्या–227, दिनांक–08.07.2016 है।

(10) आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–सं०सं०–03/उ०नि०/विविध (जि०उ०के०) भवन नि0–11/14 के पृष्ट–53/टि0 पर दिनांक–22.07.16 को प्राप्त है। जिसका डायरी संख्या 179/OSD दिनांक 21.07.16 है।

(11) राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 8003 वि0(2) दिनांक 18.09.2008 में निहित पत्रांक 2938 वि (2) दिनांक 08.04.08 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) वित्त विभागीय पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.98 की कंडिका–15 के आलोक में उक्त विमुक्त की जा रही राशि की अग्रिम निकासी हेतु शिथलीकरण के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

(13) वित्त विभागीय पत्रांकः–7355/वि0(2), दिनांकः–05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(साकेत कुमार)
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक......................../ पटना, दिनांक........................
सं०सं०–03/उ०नि०/विविध(जि०उ०के०)भवन नि0–11/14

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(साकेत कुमार)
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक......................../ पटना, दिनांक........................
सं०सं०–03/उ०नि०/विविध(जि०उ०के०)भवन नि0–11/14

प्रतिलिपिः–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(साकेत कुमार)
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3410 / पटना, दिनांक 19.9.16
सं०सं०–03/उ०नि०/विविध(जि०उ०के०)भवन नि0–11/14

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–3(उ0नि0), को तीन प्रतियों में/प्रशाखा–1 योजना (स0) को तीन प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/9/16
(साकेत कुमार)
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

D:drive_sujeet_Dharmendra sir_\Sanction Order\2015-16---------76